न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1997–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल प्रकरण कमांक 01/अ–70/11–12.

श्रीमती अर्चना अग्रवाल पत्नी सुधीर कुमार अग्रवाल
निवासी ई–4/231 अरेरा कॉलौनी, भोपाल .....आवेदिका

विरूद्ध

जितेन्द्र कुमार डागा आत्मज मिश्री लाल
निवासी भोजपाल एयरपोर्ट के सामने
डागा भवन सी.टी.ओ. बैरागढ़, भोपाल .....अनावेदक

श्री सतीश सिंह, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनकी भूमि के अंश भाग पर पड़ोसी सागर रॉयल विला होम्स द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–70/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक

25–6–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के ऐसे आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण सीमांकन से संबंधित नहीं होकर बटांकन से संबंधित है, परन्तु तहसीलदार द्वारा उनकी आपत्ति निरस्त कर एकतरफा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, जो कि सीमांकन के आधार पर होती है, और तहसीलदार के समक्ष विधिवत सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है ।

(3) संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है, बटांकन प्रकरण के आधार पर नहीं, इस स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बटांकन/सीमांकन के आधार पर ही संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बटांकन के प्रकरण में सीमांकन आवश्यक होने से सीमांकन कार्यवाही की गई है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदिका का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन एवं बटांकन कार्यवाही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना सीमांकन किये बटांकन की कार्यवाही नहीं होती है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कार्यवाही नहीं होने देने के उद्देश्य से आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है, और इसी उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि बटान/सीमांकन की कार्यवाही उभय पक्ष की उपस्थिति में की गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित है, और संहिता की धारा 250 के प्रकरण में यह आवश्यक नहीं है कि केवल पक्षकार द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन को ही प्रमाणित किया जाये । यदि पक्षकार के पास वैकल्पिक साक्ष्य उपलब्ध है तब भी वह वैकल्पिक साक्ष्य से संहिता की धारा 250 के प्रकरण को प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—5—2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर